झा रकार

झारखण्ड र आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध)–65 /: I–2)– 843

प्रेषक,

नरेश प्रसाद केवट
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 16.12.2021

विषयः– **आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक–649 दिनांक–16.09.2021। Pg - 133/C

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–16 (6–च) के आलोक में आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन / आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया थाः–

1. राज्य में संचालित कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या।
2. आंगनबाड़ी केन्द्रों पंजीकृत 6 माह से 3 वर्ष एवं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं की संख्या।
3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना (PMMVY) से संबंधित पंजीकृत लाभुकों से संबंधित अद्यतन सूचना।
4. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा NFSA–2013 के तहत् दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित अद्यंतन प्रतिवेदन।
5. आंगनबाड़ी केन्द्रों में NFSA–2013 के तहत् संचालित सेवाओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने हेतु विभाग के आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित सूचना।

उपरोक्त प्रतिवेदन / आंकड़े आयोग को अब तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन आयोग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

16/12/2021

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx154

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261